'राजस्थान पुलिस की एस.आई.टी. ने बीते एक साल में पेपरलीक के 244 आरोपी दबोचे'

डी.जी.पी. उत्कल रंजन साहू ने पेपर लीक माफिया पर गत एक साल में की गई कार्रवाई पर एस.आई.टी. की सराहना की

- **राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के पेपरलीक करने वाले सरगना, सहयोगी और गलत तरीकों से लाभान्वित परीक्षार्थी समेत 176 लोग आज सलाखों के पीछे हैं। इनमें डमी कैंडिडेट्स के सहारे चयनित हुए लोग भी शामिल है।''**
- **डी.जी.पी. उत्कल रंजन साहू का कहना है ''एस.आई.टी. की कार्रवाई का नतीजा है कि पिछले 1 साल में आर.पी.एस.सी. की 145 तथा आर.एस.एस.बी. की 25 परीक्षाएं बिना पेपर लीक के संपन्न हो सकी।''**

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस की स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (एस.आई.टी.) ने पिछले एक साल में ''पेपरलीक माफिया'' पर शिकंजा कसा है। इसी का नतीजा है कि राजस्थान पुलिस की एसआईटी ने पिछले एक साल में पेपर लीक के अनेकानेक अपराधियों और इसमें शामिल गैंग के सरगनाओं की गिरफ्तारी की है। पेपरलीक गिरोह के सरगना, सहयोगी और गलत तरीकों से लाभान्वित परीक्षार्थी आज सलाखों के पीछे है। डमी कैंडिडेट्स के सहारे चयन के आरोपी भी पकड़े गए है। यहां तक कि ईओ-आरओ परीक्षा में पेपर लीक व अनुचित साधनों के उपयोग का पर्दाफाश भी इस टीम ने किया है।

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) उत्कल रंजन साहू ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में नई सरकार का नेतृत्व संभालने के तुरंत बाद 16 दिसम्बर 2023 को पेपर लीक से सम्बंधित प्रकरणों की गहन जांच और नकल गिरोह से जुड़े आरोपियों की धरपकड़ करते हुए हताश युवाओं के विश्वास को लौटाने के लिए अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस एवं एसओजी के नेतृत्व में एसआईटी के गठन का निर्णय लिया था। एसआईटी ने प्रदेश में पेपर लीक की रोकथाम के लिए इस सम्बन्ध में दर्ज मामलों में न केवल जाँच को त्वरित तरीके से आगे बढ़ाया है, बल्कि दोषियों के विरूद्ध सख्त एक्शन लिया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप एस.आई.टी. की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई का नतीजा है कि, प्रदेश में बीते एक साल में राजस्थान लोक सेवा आयोग (आर.पी.एस.सी.) की 145 तथा राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड (आरएसएसबी) की 25 परीक्षाएं बिना पेपरलीक संपन्न हो पायी है।

डी.जी.पी. ने बताया कि राजस्थान में जेईएन, उप निरीक्षक पुलिस तथा प्लाटून कमान्डर भर्ती परीक्षा-2021 के पेपर लीक में सम्मिलित मुख्य गैंग सरगनाओं, उनके सहयोगी तथा गलत तरीके से लाभान्वित हुए परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनमें से अधिकांश आरोपी वर्तमान में भी सलाखों के पीछे हैं।

एसआईटी द्वारा परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं के बारे में अलग-अलग स्त्रोतों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर 2300 से अधिक परिवादों की जांच की जा रही है। अब तक 94 एफआईआर दर्ज की गई है, वहीं पेपर लीक मामलों में 244 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, इनमें से 176 आरोपी मौजूदा समय में जेल में है।

अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) पुलिस, एटीएस और एसओजी तथा एसआईटी के प्रमुख वीके सिंह ने बताया कि प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान एसओजी के थाने पर पेपर लीक, डमी अभ्यर्थियों के सहारे चयन तथा प्राइवेट विश्वविद्यालयों द्वारा फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट थोक में जारी करने और इनका बड़े स्तर पर इस्तेमाल करते हुए सरकारी नौकरियां प्राप्त करने से जुड़ी 91 एफआईआर रजिस्टर की गई।

एसआईटी की जांच में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बैठाकर अनुचित साधनों के प्रयोग से चयनित होने वालों की संख्या बहुत अधिक होने का खुलासा हुआ। यह भी एक पेपर लीक जैसी गम्भीर समस्या थी, जो कि अब तक दबी हुई थी। एसआईटी ने इसे उजागर कर परीक्षा प्रणाली में सुधार करवाए हैं।

एडीजी वी.के.सिंह ने बताया कि एसआईटी ने आरपीएससी द्वारा आयोजित अधिशाषी अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी(ईओ/आरओ) भर्ती परीक्षा-2023 की जांच कर 20 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए इनमें पेपर लीक एवं अनुचित साधनों के उपयोग का पर्दाफाश भी किया है, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा को निरस्त कर पुन: आयोजन की घोषणा की गई है। इसके साथ ही बेकरिया पेपरलीक प्रकरण में दिसम्बर 2022 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा-2022 के सिलसिले में थाना बेकरिया जिला उदयपुर में गिरफ्तारशुदा 6 मुल्जिमों की जमानत याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ द्वारा सुनवाई के बाद अगस्त 2024 में खारिज की गई। ये मुल्जिम वर्ष 2023 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

फर्जी डिग्री देने-लेने वालों पर कसा शिकंजा

सिंह ने बताया कि एसआईटी की जांच में ज्ञात हुआ कि पेपर लीक करने एवं डमी अभ्यर्थी की सहायता से चयन कराने वाले गैंग द्वारा बिना योग्यता वाले अभ्यर्थियों का अनुचित साधनों से चयन करवा दिया जाता था। परीक्षा का फार्म भरते समय उनके द्वारा यह घोषणा की जाती थी कि कि वे अमुक विश्वविद्यालय से अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं किन्तु वे वास्तव में विद्यार्थी नहीं हो कर चयनित होने पर किसी प्राईवेट यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री लाकर एवं अनुचित तरीकों से बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते थे। एसआईटी द्वारा ऐसे विश्वविद्यालयों के खिलाफ गहनता से छानबीन बाद मुकदमा दर्ज किया गया है एवं जाँच प्रगति पर है। ऐसे प्राईवेट विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, दलालों एवं कई लाभार्थियों को गिरफ्तार किया गया है और वे अभी भी जेल में बन्द है। साथ ही एसओजी ने खेलों में फर्जी प्रमाण पत्र का गोरखधंधा उजागर कर इसमें संलिप्त आरोपितों को भी गिरफ्तार किया है।

हैल्पलाइन पर आमजन से मिल रही सटीक सूचनाएं

एडीजी एसओजी एवं एटीएस सिंह ने बताया कि एसआईटी की टीम ने गत एक साल में जिस प्रकार रात दिन एक करते हुए पेपर लीक के मामलों में लगातार तत्परता से ठोस कार्रवाई की है, उससे युवाओं के साथ-साथ आमजन में भी सिस्टम के प्रति भरोसा कायम हुआ है। एसआईटी द्वारा जारी हेल्पलाइन पर आमजन सजग प्रहरी के रूप में लगातार परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग कर चयनित लाभार्थियों के बारे में सटीक सूचना बढ़-चढ़कर साझा कर रहे है। एक तरह से एसआईटी हैल्पलाइन ने जनता को पुलिस की भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया है।

दूध के 70 प्रतिशत सैंपल में मिली पानी की मिलावट

जयपुर। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन (आरसीडीएफ) की प्रशासक एवं प्रबंध निदेशक श्रुति भारद्वाज की पहल पर पूरे राजस्थान में चल रहे ''दूध का दूध, पानी का पानी'' अभियान की जयपुर में उत्साहजनक शुरुआत हुई।

जयपुर डेयरी द्वारा शुक्रवार सुबह पांच प्रमुख स्थानों- करधनी शॉपिंग सेंटर मालवीय नगर, एनआरआई सर्किल प्रताप नगर, वीटी रोड मानसरोवर, प्रेम नगर पुलिया आगरा रोड, और जवाहर नगर डेयरी बूथ नंबर 8116 पर अभियान की शुरुआत की गई। अभियान को लेकर जनता में भारी उत्साह देखा गया, और बड़ी संख्या में नागरिकों ने अपने दूध की जांच करवाई।

अभियान के दौरान लिए गए सैंपलों की जांच में यह पाया गया कि शहर के विभिन्न स्थानों पर 70 प्रतिशत दूध में पानी की मिलावट थी। इन सैंपलों में से अधिकांश में 35 से 40 प्रतिशत तक पानी की मिलावट पाई गई। यह आंकड़े चिंताजनक हैं और यह दर्शाते हैं कि दूध में पानी की मिलावट कर उपभोक्ताओं को ठगा जा रहा है। गौरतलब है कि यह अभियान 30 जनवरी तक लगातार जारी रहेगा।

कृष्ण कुणाल ने किया विद्या समीक्षा केन्द्र की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन

जयपुर (कासं)। राजस्थान में शैक्षिणक गतिविधियों की विद्यालय स्तर से ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर तक मॉनिटरिंग सपोर्ट एवं सूचना के आदान-प्रदान के लिए डॉ.राधाकृष्णन शिक्षा संकुल में स्थापित विद्या समीक्षा केंद्र की स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने शुक्रवार को समीक्षा की।

स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल और राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद अविचल चतुर्वेदी ने विद्या समीक्षा केंद्र परिसर का निरीक्षण किया।

उन्होंने वीएसके के संचालन, कार्य प्रणाली और प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने वीएसके के डेटा डिलिवरी, मैनेजमेंट, वर्गीकृत जानकारी, एआई आधारित इनसाइट और चैट बॉक्स, टूल्स आदि पर विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वीएसके सेटअप के लिए कृष्ण कुणाल ने टीम को बधाई देते हुए अब तक किए गए कार्यों की सराहना की।

उन्होंने कुछ आवश्यक टूल जोड़ने और डेटा एनालिसिस को बेहतर करने की सलाह भी दी। उन्होंने आधुनिक शिक्षा प्रणाली के दौर में वीएसके की आवश्यकताओं पर जोर देते हुए कहा कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार राजस्थान में भी वीएसके के माध्यम से शिक्षक एवं शिक्षार्थी की ऑनलाइन मॉनिटरिंग जरूरी है। इससे शिक्षण पद्धित में सुधार के साथ पारदर्शिता भी लाई जा सकेगी।

कृष्ण कुणाल ने वीएसके परिसर में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश भी दिए। इससे पहले शासन सचिव सहित राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद अविचल चतुर्वेदी ने विद्या समीक्षा केंद्र परिसर का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर आयुक्त मिड डे मील विश्व मोहन शर्मा , निदेशक माध्यमिक शिक्षा आशीष मोदी, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा श्री सीताराम जाट, निदेशक साक्षरता मेघराज सिंह रतनू, सचिव पाठ्य पुस्तक मंडल मूलचंद वर्मा, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक डॉ.रौनक बैरागी सहित अन्य उपस्थित रहे।

शांति एवं अहिंसा विभाग ने सुबोध महाविद्यालय में कराया सेमिनार

जयपुर। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर विभिन्न आयोजनो के क्रम में शांति एवं अहिंसा विभाग, राजस्थान सरकार एवं एस.एस. जैन सुबोध पी. जी. महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। सेमिनार में बड़ी संख्या में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने युवा दिवस के अवसर पर अपने विचारो को अभिव्यक्त किया ।

इस सेमिनार के मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय एवं अधिकारित मंत्री अविनाश गहलोत रहे। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है।

एल.आई.सी. बीमा सखी योजना से जुड़ी 50 हजार से अधिक महिलाएं

जयपुर (कासं)। भारतीय जीवन बीमा निगम की ''बीमा सखी'' योजना से 50 हजार से अधिक महिलाएं जुड़ चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत 9 दिसंबर को पानीपत में इस योजना का शुभारंभ किया था। बीमा सखी योजना महिला सशक्तिकरण के माध्यम से विकसित भारत की ओर एक कदम हैं, जो परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी।

भारतीय जीवन बीमा निगम के सीईओ और एम.डी. सिद्धार्थ महांति ने बताया कि एल.आई.सी. की इस योजना को लॉन्च हुए एक माह का समय बीत चुका है, इस अवधि में 52 हजार 511 पंजीकरण हुए है। इनमें से 27695 बीमा सखियों को पॉलिसी विक्रय के लिए नियुक्ति पत्र भी जारी किए जा चुके हैं। करीब 14583 बीमा सखियों ने पॉलिसी विक्रय भी शुरू कर दिया है।

उन्होंने बताया कि एक वर्ष के भीतर देश की प्रत्येक पंचायत को कम से कम एक बीमा सखी से कवर करने का लक्ष्य रखा है। एलआईसी बीमा सखियों को उचित कौशल प्रदान करके तथा डिजिटल उपकरणों से सशक्त बनाकर मजबूत बना रही है। इस योजना में किए गए बीमा व्यवसाय पर अर्जित कमीशन के अलावा तीन वर्षों तक मासिक स्टायपेंड का लाभ भी मिलेगा।

गहलोत का बयान हास्यास्पद : राठौड़

जयपुर। पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा नेता राजेन्द्र राठौड ने कहा कि रिफाइनरी पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिया गया बयान न केवल हास्यास्पद है बल्कि 'उल्टे बांस बरेली को' वाली कहावत को सार्थक करता है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय वर्ष 2017 में रिफाइनरी का शिलान्यास हुआ था जो कि अक्टूबर 2022 में पूर्ण होनी थी। कांग्रेस ने जानबूझकर रिफाइनरी परियोजना को लटकाया-भटकाया और इसकी लागत 36 हजार करोड़ रूपये से बढ़कर 72 हजार करोड़ हो गई। अशोक गहलोत ने विधानसभा में 3 बार परियोजना शुरू करने की तारीख तय की, अब हमारी सरकार जल्द इसकी सौगात देगी।

आई.एफ.एस. से मारपीट मामले में राजावत को मिली सजा स्थगित

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 मार्च, 2022 को कोटा के नयापुरा में भारतीय वन सेवा के अधिकारी से मारपीट के मामले में भाजपा नेता भवानी सिंह राजावत और एक अन्य महावीर सुमन को मिली तीन साल की सजा को स्थगित कर दिया है। जस्टिस भुवन गोयल ने यह आदेश भवानी सिंह राजावत व महावीर की ओर से दायर अपील में पेश सजा स्थगन प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिए। कोटा की एससी, एसटी कोर्ट ने गत 19 दिसंबर को अपीलार्थियों को गत 19 दिसंबर को सजा सुनाई थी। अदालत ने कहा कि अपील के निस्तारण में लंबा समय लगने की संभावना है। ऐसे में अपीलार्थियों की सजा को अपील में निर्णय होने तक स्थगित किया जाता है।

अपील के साथ पेश प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता दीपक चौहान ने अदालत को बताया कि प्रकरण में उन्हें झूठा फंसाया गया है। उनके दोषसिद्ध करने का कोई साक्ष्य भी पत्रावली पर मौजूद नहीं है। इसके बावजूद भी विशेष न्यायालय ने उन्हें सजा सुनाई है। सजा के आदेश के खिलाफ पेश अपील के निस्तारण में लंबा समय लगने की संभावना है। ऐसे में उनकी सजा को स्थगित किया जाए। वहीं सरकारी वकील ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज करने की गुहार की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अपीलार्थियों की सजा को स्थगित कर दिया है।

महाकुंभ में जा रहे श्रद्धालु होटल, गेस्ट हाऊस बुकिंग के फर्जी लिंक और वेबसाइट से रहें सावधान

- **राजस्थान पुलिस ने आमजन को साइबर सुरक्षा के लिए जागरूक करते हुए एडवाइजरी जारी की**

जयपुर। आगामी दिनों में संगम नगरी प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ में जा रहे श्रद्धालुओं को ठगने के लिए जालसाजो ने जाल बिछा दिया है। फर्जी लिंक एवं वेबसाइट के द्वारा होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस की बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी की जा सकती है। राजस्थान पुलिस की साइबर शाखा द्वारा इस संबंध में एडवाइजरी जारी की गई है कि ऐसी वेबसाइट एवं लिंक से सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रशासन द्वारा जारी किए गए कांटेक्ट नम्बरों एवं ऑफिशल वेबसाइट से ही बुकिंग करावे।

महानिदेशक पुलिस, साइबर क्राईम हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि आगामी दिनों में संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का शुभारंभ 13 जनवरी से होने जा रहा है। करीब 45 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ मे करोंडो श्रद्वालुओं के आने की सम्भावना है। डी.जी.पी. प्रियदर्शी ने बताया कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्वालुओं के ठहरने के लिए होटल, धर्मशाला एवं कुंभ क्षेत्र में बने होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस व टेंट सीटी के कॉटेज की ऑनलाईन बुकिंग शुरू हो गयी है, इसके चलते ऑनलाईन बुकिंग को लेकर साइबर अपराधी भी सक्रिय हो गये है। साइबर ठगों द्वारा सस्ते दामों पर होटल, धर्मशाला, टैंट सीटी व कॉटेज की बुकिंग कराने के नाम पर महाकुंभ जाने वाले श्रद्वालुओं को फर्जी लिंक व वेबसाइट के जरिये ठगी का शिकार बनाकर लोगो से एडवांस के नाम पर धनराशि प्राप्त कर साइबर धोखाधडी कर रहे है। प्रियदर्शी ने बताया कि आमजन की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन द्वारा जारी लिंक में उल्लेखित होटल, धर्मशाला, कॉटेज, एवं गेस्ट हाउस से ही एडवास बुकिंग करावें। प्रशासन द्वारा जारी सूची में इनके नाम, पता एवं कॉन्टैक्ट नंबर दिये है जो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मौजूद है।

पोल गिरने से सी-स्कीम में बिजली गुल

सी-स्कीम इलाके में अशोक नगर स्थित सुभाष मार्ग पर शुक्रवार को बिजली का पोल गिरने से यातायात बाधित रहा। इस दौरान पूरे इलाके की बिजली कई घंटों तक गुल रही। बाद में जब स्थानीय लोगों ने बिजली को सूचना दी तो कर्मचारियों ने नया पोल लगाकर बिजली के तारों को पुन: व्यवस्थित किया।

'यातायात नियमों की पालना करके राष्ट्र व समाज हित में सुरक्षार्थी बने विद्यार्थी'

अतिरिक्त महानिदेशक ट्रैफिक अनिल पालीवाल ने शुक्रवार को मानसरोवर स्थित आईआईएस स्कूल में विद्यार्थियों से सड़क सुरक्षा के बारे में संवाद किया।

- **यातायात पुलिसकर्मी प्रेम सिंह ने बच्चों को सड़क सुरक्षा संकेतकों, आदेशात्मक रोड साइनेजेज, सूचनात्मक चेतावनी, गति सीमा, अवरोधकों पर वाहन ठहराव, सड़क मार्ग एवं हाइवे विनियमन, रिफ्लेक्टर उपयोग, पार्किंग नियम और ओवरटेक के बारे में जानकारी दी**

जयपुर। राष्ट्र और समाज के तौर पर सुरक्षा को महत्व देना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। विद्यार्थी यातायात नियमों नियमों की पूर्ण पालना करते हुए सड़क मार्गों पर सुरक्षित आवाजाही करें, ट्रैफिक में अनुशासित और सतर्क रहकर वे सुरक्षित तरीके से स्वयं भी अपने गंतव्य स्थल पहुंचे और आवागमन में अन्य चालकों और राहगीरों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखें, जिससे दूसरों को भी कोई असुविधा न हों और अवांछित दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

यह बात पुलिस मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) ट्रैफिक अनिल पालीवाल ने शुक्रवार को जयपुर में मानसरोवर स्थित आईआईएस स्कूल में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह (1 से 31 जनवरी) के सिलसिले में आयोजित अवेयरनेस कार्यक्रम में विद्यार्थियों और युवाओं को मोटिवेट करते हुए कहीं।

एडीजी (ट्रैफिक) पालीवाल ने कहा कि विद्यार्थी, युवा और आमजन सुरक्षित कार्य करने की आदत डालें, खुद भी सुरक्षित रहे, दूसरों को भी सुरक्षित रखें और यातायात में सभी की सुरक्षा का ख़्याल रखें। स्टूडेंट्स से गलत ड्राइविंग पर दूसरों को टोकने और यातायात नियमों के उल्लंघन पर सही जगह शिकायत करने के साथ ही सोसाइटी को हर तरह से सुरक्षित बनाने में योगदान की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि आप जितने जागरूक सिटीजन बनेंगे, उतनी हमारी सेफ्टी बढ़ेगी। श्री पालीवाल ने इस दौरान इंटरेक्टिव सेशन में स्टूडेंट्स और बालवाहिनी चालकों के समूह से संवाद करते हुए उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया और सुरक्षित यातायात के सम्बंध में उनके सुझावों को सराहा।

कार्यक्रम में एडीजी पालीवाल तथा यातायात पुलिस के अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने छात्र-छात्राओं को यातायात जागरूकता के सम्बंध में प्रचार सामग्री का वितरण किया। प्राचार्य नीति जोधा ने एडीजी पालीवाल और अन्य अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में एडिशनल डीसीपी यातायात रानू शर्मा, एडिशनल एसपी सुरेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक ब्रजेश कुमार सहित स्कूल के टीचर्स, स्टूडेंट्स, अभिभावक और गण्यमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान यातायात पुलिसकर्मी प्रेम सिंह ने बच्चों को सड़क सुरक्षा संकेतकों, आदेशात्मक रोड साइनेजेज, सूचनात्मक चेतावनी, गति सीमा, अवरोधकों पर वाहन ठहराव, सड़क मार्ग एवं हाइवे विनियमन, रिफ्लेक्टर उपयोग, पार्किंग नियम, ओवरटेक एवं यातायात पुलिसकर्मी डिप्लोय न होने की दशा में भी यातायात निर्देश की पूर्ण पालना के बारे में विशेष प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जागरूक किया।

फर्जी-कॉल सेंटर के माध्यम से लोगों को ठगने वाले चार बदमाश गिरफ्तार

शिप्रापथ क्षेत्र में था कॉल सेंटर, ई-मित्र की आईडी से मुनाफे व कैशबैक का झांसा देकर करते थे ठगी

- **पुलिस के मुताबिक इस गैंग पिछले 6 महीने में 500 लोगों से फेक कॉल करके 15 लाख रुपए से ज्यादा रकम ठग चुकी है।**

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजधानी जयपुर की शिप्रापथ थाना पुलिस ने ठगी के एक कॉल सेंटर का शुक्रवार शाम पर्दाफाश किया है। जहां पुलिस ने ई-मित्र के नाम से खोले गए फेक कॉल सेंटर पर दबिश देकर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस जानकारी में सामने आया है कि कॉल सेंटर के जरिए ई-मित्र की आईडी से प्रॉफिट के साथ कैश बैक का झांसा देकर रकम ठगी जाती थी। जो पिछले 6 महीने में 500 लोगों से फेक कॉल सेंटर गैंग 15 लाख रुपए कमाई कर चुकी है। पुलिस ने कॉल सेंटर से बड़ी संख्या में कम्प्यूटर, मोबाइल व अन्य सामान के साथ 78 हजार कैश बरामद किया है। मामले में फरार कॉल सेंटर ऑनर और वर्कर्स की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही है।

शिप्रापथ थाना पुलिस फर्जी कॉल सेंटर संचालित कर लोगों को ठगने वाले गिरोह को दबोचा।

पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण दिगंत आनंद ने बताया कि शिप्रापथ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कॉल सेंटर में साइबर फ्रॉड मामले में आरोपी दीपक (23) निवासी अशोक पुरा गली नंबर-1 सोडाला, संजय मेघवाल (22) निवासी काली पलटन मोहल्ला टोंक, नन्दवीर सैनी (22) निवासी रीको इंडस्ट्रियल एरिया मानसरोवर और विनोद बैरवा (23) निवासी मालपुरा जिला टोंक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कॉल सेंटर से 9 मोबाइल, 13 कम्प्यूटर, 1 लैपटॉप, वाईफाई, बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट मशीन, इंटरनेट कनेक्टर, बिजली के दो बोर्ड व ठगी के 78 हजार रुपए जब्त किए है। पुलिस दबिश के दौरान कॉल सेंटर पर ऑनर व अन्य वर्कर नहीं होने के चलते पकड़े नहीं जा सके। पुलिस जांच में सामने आया है कि ई-मित्र की आईडी बनाकर देने का कॉल सेंटर के जरिए झांसा दिया जाता था। आईडी से प्रॉफिट से लेकर कैश बैक का लालच देते थे।

रजिस्ट्रेशन फीस के जरिए फ्रॉड की पहली किस्त 5-10 हजार रुपए ली जाती थी। जिसके बाद रुपए और खर्च करने की लगने पर एक-दो बार सुविधा देकर कैश बैक का लालच देकर मोटी रकम बैंक अकाउंट में जमा करवा लेते थे। रुपए वसूली के बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर देते थे। कुछ दिनों बाद पहले मोबाइल नंबर को बंद कर दूसरे मोबाइल नंबर का यूज शुरू कर देते थे। साइबर फ्रॉड कर गैंग के अभी तक करीब 500 लोगों से 15 लाख रुपए से अधिक की कमाई होने का पता चला है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण ने बताया कि पिछले काफी समय से साइबर हेल्पलाइन नंबर-1930 पर ई-मित्र सेवा के नाम पर साइबर फ्रॉड की सूचना मिल रही थी। जिस पर एसीपी मानसरोवर आदित्य काकड़े के सुपरविजन में शिकायतों का एनालासिस करवाया गया। साइबर सैल के हेड कांस्टेबल लोकेश कुमार की सूचना पर कांस्टेबल विजयपाल व प्रहलाद के साथ एसीपी ऑफिस (मानसरोवर) में तैनात हेड कांस्टेबल हंसराज की टीम बनाई गई। साइबर फ्रॉड करने वाले संदिग्धों के मोबाइल नंबरों से लोकेशन निकलवाई गई। साइबर सेल टीम की तरफ से गोपनीय सूचना प्राप्त की गई।

शिप्रापथ इलाके में विक्रमादित्य मार्ग अग्रवाल फार्म पर एक अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर समाज सेवा केंद्र के नाम से फ्रॉड करने का पता चला। ई-मित्र के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर चलाने पर शिप्रापथ थानाधिकारी अमित शर्मा के नेतृत्व में टीम ने दबिश दी। पुलिस ने साइबर फ्रॉड के लिए कॉल सेंटर पर मिले चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। कॉल सेंटर पर मिले मोबाइल-कंप्यूटर सहित अन्य सामान को जब्त किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने ऑनर व अन्य वर्कर के कॉल सेंटर पर नहीं होना बताया। पिछले 6 महीने से इस कॉल सेंटर की संचालन होना बताया।